25

निग) 3980 - II -15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक सन् 2015

गिरजा पुत्रीदशरथ अहिरवार,

निवासी ग्राम दिवियापुरवा तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म0प्र0 ———————— निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ———————— गैरनिगरानीकर्तागण

श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा आज दि. 14-12-15 प्रस्तुत

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजनगर, तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 3/अ–3/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2010 से दुखी होकर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता हैं :–

1. यह कि निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम दिवियापुरवा स्थित भूमि खसरा नं0 156/2/2, 173/3/2/1, रकवा क्रमशः 0.979 हे0, 0.614 हे0, भूमि निगरानीकर्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में निगरानीकर्ता के पिता दशरथा अहिरवार के नाम दर्ज थी है। उक्त भूमि की तरमीम न्यायालय तहसीलदार तहसील राजनगर के प्रकरण क्रमांक 3/अ–3/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2010 के तहत की गई है किन्तु जहां पर निगरानीकर्ता का कब्जा दखल है तथा जिस स्थान पर निगरानीकर्ता द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है उस स्थान पर निगरानीकर्ता के भूमि नक्शा अभिलेख में रेंखांकित नहीं की गई है बल्कि अन्य स्थान पर भूमि रेखांकित की गई है जिससे निगरानीकर्ता को अनावश्यक मुकदमे बाजी एवं लड़ाई झगड़ा में उलझना पड़ रहा है। उक्त तरमीम आदेश की जानकारी उस समय हुई जब निगरानीकर्ता की कब्जा दखल की भूमि पर मिट्टी की खुदाई एवं ईंटों का निर्माण जबरन बल पूर्वक ग्राम के ही एक व्यक्ति जगन्नाथ गड़रिया द्वारा किया जाने लगा जिसके संबंध मे निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार राजनगर के

क्रमशः //2//

गिरजा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3980-दो/2015 जिला छतरपुर गिरिजा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 03/अ-3/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 09-02-2010 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-12-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

01/2/19

3

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01/02/19
सदस्य